

कार्यालय

पत्रांक /मान्यता/ ६५

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी

/2017-18

गौतमबुद्धनगर।

दिनांक १३-०४-१७

प्रबन्धक,

केंद्रीय इन्टरनेशनल स्कूल नियाना उर्फ अमीनाबाद

जनपद गौतमबुद्धनगर।

विधय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

नहोदय/नहोदया,

आपके दिनांक 11.08.2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पहचानवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं उपरोक्त विद्यालय को नवीन शैक्षिक सत्र 2017-2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त निःशुल्क विविध शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं—

1. मान्यता की भंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपावन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपावन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहिन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. ये ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपचारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक दैक्षिण्य वाला रखेगा।
5. सोशायटी/विद्यालय किसी केपिटेशन शुल्क का सम्बन्ध नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कॉलरशिप इंडिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक के उसकी आय का सम्बन्ध न होने के कारण उसके देने के इकाई नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्ध का बालक उपलब्ध विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करता—

Manager
K.D. International School
VIII, Niyana, Greater Noida (U.P.)

Principal
K.D. International School
VIII, Niyana, Greater Noida (U.P.)

- (i) प्रदेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यवीन नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (v) अधिनियम के उपचंद के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (xiii) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रमों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सामियमां हैं:-

विद्यालय परिसर का हेत्रफल	=	8890 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्रफल	=	2700 वर्ग मीटर
क्रीड़ा स्थल का हेत्रफल	=	शेष क्रीड़ा स्थल
कक्षाओं की संख्या	=	10
प्राध्यापक-सहकार्यालय- सहभागीर ठे लिए कक्ष	=	06
बालक और बालिकाओं के लिए पृष्ठक जोड़ान्ना	=	जोड़ान्ना है
वैयक्तिक सुविधा	=	जोड़ान्ना है
मिड-डे-मील पकाने के लिए टस्टोइ	=	जोड़ान्ना है
वापराहित पहुँच	=	जोड़ान्ना है
अध्यापक यठन पाठ्यन सामग्री/इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट वर्क	=	जोड़ान्ना है
संवर्कन/पुस्तकालय की उपलब्धता।	=	जोड़ान्ना है

N.

Manager


K.D. International School

Vill. Niyana, Greater Noida(U.P.)

Principal
K.D. International School
Vill. Niyana - Greater Noida (U.P.)

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से काई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. रक्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उवित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालयों को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक G.J.H.S - २१ है। कृपया इसे नोट कर ले और कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस सुख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसो अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये तथा प्रति छात्र / छात्राओं के बैठने हेतु 09 वर्ग फीट का स्थान निर्धारित करें।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।
18. शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मान्यता से सम्बन्धित समर्त अध्यतन शासनादेश / विभागीय आदेश प्रभावी माने जायेंगे।
19. विद्यालय में अहं व टी०इ०टी० उत्तीर्ण अध्यापकों की नियुक्ति की जाए साथ ही आरक्षण का पालन किया जाए।
20. प्रबन्धक द्वारा मान्यता आवेदन के साथ प्रस्तुत कोई भी पत्राजात यदि किसी प्रकार से फर्जी / कूटरचित / मिथ्या पाये जाते हैं तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही के साथ-साथ प्रबन्धक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।


 Manager
 K.D. International School
 Vill. Niyana, Greater Noida(U.P.)


 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
 गौतमबुद्धनगर
 Principal
 K.D. International School
 Vill. Niyana, Greater Noida (U.P.)